

12/001-06/06-424(फक) 17.05.06

नितार सरकार

स्वास्थ्य एवं पौष्टिक विभाग

संकल्प

विषय- राज्य के नागरिकों को मुफ्त दवा एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बंध में ।

राज्य के विभिन्न अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नागरिकों को आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करने की मांग समय-समय पर, विभिन्न श्रोतों से होती रही है ।

2. उपरोक्त आलोक में विभिन्न अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध की जानेवाली आवश्यक दवाओं एवं सर्जिकल सामानों की सूची निर्धारित की गयी है :-

- 1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर जिला अस्पताल के ओ.पी.डी. के मरीजों को मुफ्त दी जानेवाली दवाओं की सूची - अनुलग्नक 1
- 2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर जिला अस्पताल अन्तर्वासी मरीजों को दी जानेवाली दवाओं की सूची - अनुलग्नक 2
- 3) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के लिए ओ.पी.डी. में मुफ्त दी जानेवाली आवश्यक दवाओं की सूची - अनुलग्नक 3
- 4) विभिन्न शल्य क्रियाओं में लगने वाली आवश्यक दवाओं/सर्जिकल सामानों की सूची - अनुलग्नक 4
- 5) मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में लगने वाली दवाओं की सूची - अनुलग्नक 5

3. संबंधित सूची आवश्यक दवा सूची (Essential Drug list)/ आवश्यक सर्जिकल सामानों की सूची (Essential Surgical Items) के रूप में जानी जायेगी ।

4. संबंधित चिकित्सक यदि इस सूची में दवा प्रेस्क्राइब (Prescribe) करते हैं तो संबंधित अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की यह जवाबदेही होगी कि मरीजों को इस सूची की सभी दवाएँ एवं सर्जिकल सामान मुफ्त उपलब्ध कराया जाय । सूची से बाहर की दवाएँ/सर्जिकल सामान प्रेस्क्राइब होने की स्थिति में मरीज को दवा खरीदना पड़ेगा ।

5. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए किस केन्द्र पर कौन-कौन सी दवा उपलब्ध रहेगी, इसका निर्णय राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से लेगा ।

6. यह भी निर्णय लिया गया है कि दवाओं के दुरुपयोग की सम्भावना को रोकने एवं इस व्यवस्था की मोनिटरिंग करने के उद्देश्य से निम्न अनुसार मरीजों से निबंधन शुल्क लिया जाय :-

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | - 1 रुपया (सिर्फ एक बार) । |
| (ख) अनुमंडल/सदर अस्पताल | - 2 रुपये (सिर्फ एक बार) । |
| (ग) मेडिकल कॉलेज अस्पताल | - 5 रुपये (सिर्फ एक बार) । |

राखा रेखा से नीचे रहनेवाले व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों से कोई निबंधन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

8. निबंधन शुल्क से प्राप्त राशि रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा होगी जिसे समिति, संबंधित अस्पतालों के मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खर्च कर सकेगी।

9. राज्य स्वास्थ्य समिति मुफ्त मिलनेवाली दवाओं की सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार करायेगी ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही कौन-कौन सी शल्य क्रिया छोटे ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन की श्रेणी में आयेगी उसे भी सूचीबद्ध करेगी एवं प्रसारित करेगी। अस्पताल के मुख्य दरवार पर इन औषधियों एवं सामग्रों की सूची प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जायेगी।

उपरोक्त व्यवस्था 1 जुलाई, 2006 से प्रभावी होगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Durpal
(दीपक कुमार)

सरकार के सचिव

जापांक- 424 (पू 40)

पटना, दिनांक 17 / 05 / 2006

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय, मुख्यालय, मुलजारबान, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Durpal
सरकार के सचिव

जापांक- 424 (पू 40)

पटना, दिनांक 17 / 05 / 2006

प्रतिलिपि - कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/ सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल/ सभी असेनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Durpal
सरकार के सचिव

जापांक- 424 (पू 40)

पटना, दिनांक 17 / 05 / 2006

प्रतिलिपि - सभी प्रमुख अधिकारी/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Durpal
सरकार के सचिव